# मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2013

क.एफ.3—72—2007—दस—1. — भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तयों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) वन सेवा भरती नियम 2000 में निम्नलिखित संशोधन करते है, अर्थात:—

### संशोधन

अनुसूची चार में,कॉलम (1) से (7) में,शब्द '' उप वन क्षेत्रपाल'' तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द तथा उससे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

| विभाग का नाम | उस सेवा या  | उस सेवा या    | कॉलम (२) में | पदोन्नति      | विभागीय पदोन्नति समिति के     | विशिष्ट   |
|--------------|-------------|---------------|--------------|---------------|-------------------------------|-----------|
|              | पद का नाम   | पद का नाम     | उल्लेखित पद  | प्रकिया या    | सदस्यों के नाम                | अभ्युक्ति |
|              | जिस से      | जिस पर        | पर सेवा की   | चयन प्रक्रिया |                               |           |
|              | पदोन्नति की | पदोन्नति की   | न्यूनतम      |               |                               |           |
|              | जानी है     | जानी है       | कालावधि      |               |                               |           |
| (1)          | (2)         | (3)           | (4)          | (5)           | (6)                           | (7)       |
| वन           | उप वन       | वन क्षेत्रपाल | ३ वर्ष       | वरीयता        | 1. अध्यक्ष—अध्यक्ष मध्यप्रदेश |           |
|              | क्षेत्रपाल  |               |              | प्रधान        | राज्य लोक सेवा आयोग           |           |
|              |             |               |              | उपयुक्तता     | अथवा उसके द्वारा              |           |
|              |             |               |              | गौण           | नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य        |           |
|              |             |               |              |               | 2. सदस्य— अपर मुख्य           |           |
|              |             |               |              |               | सचिव/प्रमुख सचिव,वन           |           |
|              |             |               |              |               | विभाग                         |           |
|              |             |               |              |               | 3. सदस्य— प्रधान मुख्य वन     |           |
|              |             |               |              |               | संरक्षक,मध्यप्रदेश भोपाल।     |           |

No.F-3-72-2007-X-1 - In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Class III (Non-Ministerial) forest Services Recruitment Rules 2000, namely:-

#### **AMENDMENT**

In Schedule IV, in column (1) to (7) for the words " Deputy Range" and entries relating thereto the following words and entries relating there to shall be substitute namely:-

| Name of<br>Department | Name of<br>the<br>Service or<br>post from<br>which<br>promotion | Name of<br>Service or<br>post to<br>which<br>promotion<br>is to be | Minimum period of service on the post mentioned in column-2 | Promotion<br>procedure<br>or<br>selection<br>procedure | Name of the members of departmental promotion committee  | Special<br>Remark |
|-----------------------|---|--|---|--|--|-------------------|
|                       | is to be<br>made  | made   |   |  |  |                   |
| (1)                   | (2)   | (3)  | (4)   | (5)  | (6)  | (7)               |
| Forest                | Forester  | Deputy<br>Ranger   | 3 years   | Seniority<br>subject to<br>fitness                     | 1.Chairment- Chairman Mdhya Pradesh State Public Service Commission or any member nominated by him 2. Member-Additional Chief Secretary / Principal Secretary Forest Department 3. Member-Principal Chief Conservator of Forest Madhya Pradesh |                   |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रशांत कुमार, सचिव

# मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक ७ मई २००९

क.एफ.3—37—2009—दस—1. — भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तयों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) वन सेवा भरती नियम 2000 में निम्नलिखित संशोधन करते है, अर्थात:—

### संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची तीन के नीचे दी गई टिप्पणी को लोप किया जाए,

No.F-3-37-2009-X-1 - In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Class III (Ministerial) forest Services Recruitment Rules 1999, namely:-

### **AMENDMENT**

In the said rules, the note given below the scheduled III shall be omitted.

क.एफ.3—36—2009—दस—1. — भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तयों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) वन सेवा भरती नियम 2000 में निम्नलिखित संशोधन करते है. अर्थात:—

# संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची तीन के नीचे दी गई टिप्पणी को लोप किया जाए,

No.F-3-36-2009-X-1 - In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Class III (Non-Ministerial) forest Services Recruitment Rules 1999, namely:-

#### **AMENDMENT**

In the said rules, the note given below the scheduled III shall be omitted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पुष्कर सिंह, अपर सचिव

# मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

# भोपाल, दिनांक 5 मार्च 2009

क.एफ.3—17—2009—दस—1. — भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तयों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) वन सेवा भरती नियम 2000 में निम्नलिखित संशोधन करते है, अर्थात:—

### संशोधन

उक्त नियम में, नियम 8 के उपनियम (3) के खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात:—

'' (ख) वनरक्षक के पद के लिए न्यूनतम शारीरिक प्रमाप (स्टैंडर्ड) निम्नानुसार होगा:--

| शारीरिक प्रमाप        | पुरूष अभ्यार्थी | महिला अभ्यार्थी |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| उचाई                  | 163 सेंटीमीटर   | 150 सेंटीमीटर   |
| सामान्य सीना          | 79 सेंटीमीटर    | -               |
| सीने का न्यूनतम फुलाव | 05 सेंटीमीटर    | _               |
| (विस्तार)             |                 |                 |

टिप्पणी:— (1) अनुसूचित जनजाति के पुरूष अभ्यर्थी के लिये न्यूतनम उँचाई 152 सेंटीमीटर तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए।

- (2) मध्यप्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, सीने के फुलाव में 5 सेंटीमीटर (बिना फुलाव 74 सेंटीमीटर/फुलाने पर 79 सेंटीमीटर) का शिथिलीकरण किया जाएगा।
- (3) महिला अभ्यर्थी के लिये सीने का माप अपेक्षित नहीं है "

### Bhopal, the 5th March 2009

No.F-3-17-2009-X-1 - In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Class III (Non-Ministerial) forest Services Recruitment Rules 1999, namely:-

In the said rules, for clause(b) of sub-rule(3) of rule 8 the following clause shall be substituted namely:-

" (b) The minimum physical standard for the post of Forest Guard shall be as follows:-

| Physical Standard    | Male Candidate | Female Candidate |
|----------------------|----------------|------------------|
| Height               | 163 cm         | 150 सेंटीमीटर    |
| General Chest        | 79 cm          | _                |
| Minimum Expansion of | 05 cm          | _                |
| Chest                |                |                  |

Note:- (1) For Schedule Tribes, the minimum height for male candidate should be 152 cm and for the female candidates should be 145 cm.

- (2) In the naxal affected areas in the Madhya Pradesh, 5 cm chest relaxation (unexpended 74 cm/expanded 79 cm) shall be given.
- (3) Chest measurement is not required for the Female candidate"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के.के. कातिया, अवर सचिव

# मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक ९ जून 2008

क.एफ.3—47—2008—दस—1. — भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तयों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) वन सेवा भरती नियम 2000 में निम्नलिखित संशोधन करते है, अर्थात:—

### <u>संशोधन</u>

उक्त नियमों में,

- 1. नियम 8 के उपनियम (एक) के खण्ड (ग) के पश्चात् अंतःस्थापित किया जाए अर्थात्:— " परन्तु वनरक्षकों के पद पर भर्ती के लिए उपरोक्त उपबंध लागू नहीं होगा"
- 2. नियम 11 के उपनियम (4) के पश्चात् अंतःस्थापित किया जाए अर्थात्ः— '' परन्तु वनरक्षक के पद पर भर्ती के लिए 10 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखे जायेंगे''

No.F-3-47-2008-X-1 - In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Class III (Non-Ministerial) forest Services Recruitment Rules 1999, namely:-

#### **AMENDMENT**

In the said rules:-

- 1- after clause(c) of sub-rule(1) of rule 8 the following proviso shall be inserted namely:-
- " Provided that the above provision shall not be applicable for the recruitment on the post of Forest Guards"
- 2- after sub-rule(4) of rule 11, the following proviso shall be inserted namely:-
- " Provided that for the recruitment on the post of the Forest Guard, 10 percent posts shall be reserved for women candidates"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पृष्कर सिंह, अपर सचिव

# सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2000

क.एफ सी 3—3.—2000—3.एक. — भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तयों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 में निम्नलिखित संशोधन करते है, अर्थात:—

## संशोधन

उक्त नियम में, नियम 6 के उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

- " (5) कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
- (6) कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा''

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम.के. वर्मा, उप सचिव

# भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2000

क.एफ सी 3—3.—2000—3.एक. — भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रं. सी—3—3—2003—3—एक, दिनांक 10 मार्च 2000 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है,

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम.के. वर्मा, उप सचिव

### Bhopal, the 10th March 2000

No.F-C-3-3--2000-EK - In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service Rulesl) Condition of service Rules 1961 namely:-

In the said rules, after sub-rule (4) of rule 6 the following sub-rule shall be inserted namely:-

- " (5) No candidate shall be eligible for appointment to a service or post who has married before the minimum age fixed for marriage.
- (6) No candidate shall be eligible for appointment to a service or post who has more than two living children on of whom is born on or after the 26th day of January,2001"

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, M.K. VERMA. Dy .Secy